4/9/15 को एक्सेंडर 13/5/15 दिये गये

लोक अदालत

2/7/15. पंचायत लोक अदालत द्वारा आयोजित की गई। इसी वाद में सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा विवादित भूमि का एक अन्य वाद सं 22/दाव/13 उनवान श्रीमोहन पुत्र श्योराम बनाम चन्द 188 प्रस्तुत कर रखा था उसी मौका रिपोर्ट मँगवाई जाकर मौका रिपोर्ट की अनुमति तिलक लगा दिया है। मौका रिपोर्ट की अनुसार वाद में 20 दिन चाह मौके पर उपलब्ध नहीं है अतः इस दावे की कार्यवाही स्थगित की जाती है। पंचायत लोक अदालत मुआ है नम्बर से वाद है।

अध्यक्ष
लोक अदालत
मनोहरथाना (झालावाड़)

Scanned by CamScanner